बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

नियोजन नोटिस संख्या ....826....

(वेबसाइट– https://PS.Bihar.gov.in)

ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना।

राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों में वादों के निष्पादन एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है।

संविदा अधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी निम्न् प्रकार है:–

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय	नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	ग्राम कचहरी सचिव	जिलावार कुल रिक्ति–1583 (सूची संलग्न)	6000	इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता

जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट https://PS.Bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

2. **संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता:–**

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) शैक्षणिक योग्यता:– शैक्षणिक अर्हता इण्टरमीडियट (10+2) उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता होगी।

3. **सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक 22.06.2006 के अनुसार अधिकतम् उम्र सीमा निम्नवत् लागू होगी:–**

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरूष) – 37 वर्ष

(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष

(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) – 40 वर्ष

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 12.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम आयु में छूट अनुमान्य की जायेगी।

(2) **आयुः– जिस पंचाग वर्ष में नियोजन किया जा रहा हो, उस वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा वर्ग तीन के सरकारी पदों पर नियोजन हेतु निर्धारित है;**

परन्तु ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी के नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी।

4. **आरक्षणः–**

(क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा समय–समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए प्रभावी होंगे।

(ख) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 12.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगी।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतनी को 2 प्रतिशत अनुमान्य होगी।

(च) प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए कर्णांकित पदों पर, यथाशक्त, 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद को उसी आरक्षण कोटि के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

5. **नियोजन की प्रक्रियाः–**

(क) आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक **https://PS.Bihar.gov.in** पर करना होगा। ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा एवं जिलावार आरक्षण वेबसाईट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जा सकेंगे।

(ग) आवेदकों द्वारा भरी गयी सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर Counseling में मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(घ) अभ्यर्थियों द्वारा Online आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता/अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(च) वेबसाइट https://PS.Bihar.gov.in पर उपलब्ध शपथ–पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(छ) Online आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन/Counseling के क्रम में समानता नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थितत्व रद्द कर दिया जाएगा।

(ज) अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किये जाने की स्थिति में उनकी उम्मिदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

6. **मेधा सूची का निर्धारण :–**

(क) ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेधा–अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जायेगा।

(ख) स्नातक डिग्रीधारक को 10 प्रतिशत अंको की तथा स्नातकोत्तर डिग्रीधारक को 20 प्रतिशत अंको की अधिमानता देय होगी।

(ग) ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए ढ़ाई प्रतिशत अंक देय होगा। प्रति पूर्ण वर्षो की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि छः माह से अधिक है तो उसे एक वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए ढ़ाई प्रतिशत अंक देय होगा। परन्तु इस प्रकार प्राप्त भारांक (Weightage) 12.5 प्रतिशत से अनधिक होगा।

(घ) मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

(च) रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, जिसकी सूचना समय–समय पर विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

7. **ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा :–**

(क) ग्राम कचहरी सरपंच – **अध्यक्ष**

(ख) ग्राम कचहरी के उप–सरपंच – **सदस्य**

(ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी– **सदस्य सचिव**

(जहाँ सरपंच का पद रिक्त हो, वहां उप–सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे अध्यक्ष की दशा में ऐसे किसी पंच को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा जो सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता रखनेवाले हों।)

8. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन विभागीय अधिसूचना संख्या 63 दिनांक 05.01.2015 द्वारा निर्गत बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली 2014 के अधीन होगा।

9. चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

15/01/15

(आनन्द शर्मा)
निदेशक